न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

छोटीलाल प्रसाद बनाम् अशोक कुमार वगै0

विविध वाद संख्या – 04 / 2023,

U/S – 147 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

छोटी लाल प्रसाद, पिता– हुलाश महतो, साकिन–गम्हरिया, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. अशोक कुमार, पिता – तिलक महतो, साकिन – गम्हरिया, थाना – बगोदर।
2. दुलार साव, पिता – द्वारिका नायक, साकिन – अटका, थाना – बगोदर, सभी जिला – गिरिडीह।

आदेश

आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, बगोदर के पत्रांक – 1 / 93 / 23, दिनांक – 12.06.2023 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर, निम्नलिखित भूमि पर, Cr.P.C. की धारा 147 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि की विवरण निम्न प्रकार हैः–

अंचल	मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
बगोदर	गम्हरिया / 08	27	816	रकबा – 2 डी0	उ0– रास्ता, द0– नीज प्रथम पक्ष, पु0– नीज एवं मुण्डरो सीमाना रास्ता, प0– प्लॉट नं0 817 द्वितीय पक्ष।

29.04.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 17.05.2023 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A–1**
2. मनिका महतो वगैरह के नाम से खतियान की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A–2**
3. कुन्ती कुमारी उर्फ नगेश्वरी कुमारी के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या– 0388709203, दिनांक– 06.08.2020)– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A–3**
4. केवाला संख्या – 2304, दिनांक – 24.05.1945 की छायाप्रति (विकेता – तेजनी देवी, केता – कुन्ती देवी उर्फ जागेश्वरी देवी) – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A–4**

प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वाइंट नं0 01 – मौजा – गम्हरिया, थाना नं0 – 08, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0– 27, प्लॉट नं0– 816, रकबा– 02 डी0 चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – नीज प्रथम पक्ष, पू0– नीज एवं मुण्डरो सीमाना रास्ता, प0– प्लॉट नं0 817 द्वित्तीय पक्ष को जो खतियान मनीका महतो वल्द चमा महतो वो बंधना महतो वल्द खेमचन्दी महतो कौम सुण्डी साकिनदेह दर्ज है।

आवेदन का प्वाइंट नं0 02 – प्रथम पक्ष खतियानी रैयत मनीका महतो का वंशज है मनीका महतो उक्त जमीन पर शांति पूर्ण दखलकार हुए तथा जमाबन्दी कायम कराकर सरकारी राजस्व लगान रसीद प्राप्त किए व करते आ रहे है।

आवेदन का प्वाइंट नं0 03 – यह कि मनिका महतो के बाद वफाद उसका एक मात्र पुत्र भीखन महतो हुए तथा शांतिपूर्ण दखलकार कब्जा में आये भीखन महतो का एक मात्र पुत्री कुन्ती देवी हुई और भीखन महतो की पत्नी तेजनी देवी अपने सारा चल एवं अचल सम्पति का पूर्ण अधिकार अपनी पुत्री कुन्ती देवी उर्फ जागेश्वरी देवी को रजिस्ट्री केवाला देकर बना लिए और तब से उक्त खतियानी जमीन का रजिस्ट्री से प्राप्त कर पूर्ण उत्तराधिकारी हुए और तब से कुन्ती देवी उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुई तथा इसकी पुत्र प्रथम पक्ष छोटीलाल प्रसाद हुए।

आवेदन का प्वाइंट नं0 04 – यह कि छोटीलाल प्रसाद उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार है, लेकिन विपक्षी अशोक कुमार, पिता – तिलक महतो, साकिन – गम्हरिया, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह प्रथम पक्ष के प्लॉट नं0 – 816 के सटे पश्चिम में प्लॉट नं0 – 817 पर मकान बना रहा है। विपक्षी अशोक कुमार अपने प्लॉट के पूरब में एक इंच जमीन नहीं छोडा और मकान बनाना शुरू किया लेकिन खिड़की का छज्जा एवं खिड़की प्रथम पक्ष के जमीन खाता नं0 – 27 प्लॉट नं0 – 816 चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – नीज प्रथम पक्ष, पू0 – मुण्डरो सीमाना रास्ता, पं0 – प्लॉट नं0 817 पर जबरजस्ती छज्जा वो खिडकी निकाल रहा है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में दो गवाह प्रस्तुत किये गये, गवाहों की गवाही निम्न प्रकार है –

29.04.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

प्रथम पक्ष का गवाह सं0 – 01 की गवाही प्रदर्श A - 5

मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। प्रथम पक्ष छोटीलाल प्रसाद हैं, दूसरा पक्ष अशोक कुमार है। विवादित जमीन का मौजा – गम्हरिया, खाता नं0 – 27, प्लॉट नं0 – 816 से मुकदमा 2 डिसमिल जमीन पर लाया गया है। चौहदी उ0 – रास्ता, द0– नीज, पू0 – मुंडरो सीमाना, पं0 – अशोक कुमार है। छज्जा का विवाद है। छज्जा अशोक कुमार के द्वारा निकाला गया है यह छज्जा छोटीलाल प्रसाद के जमीन पर निकाला गया है। जिसके कारण विवाद हुआ। गाँव में पंचांयती हुई। पंचायती में मैं भी पंच था। पंचायती में दोनों पक्ष अपना – अपना अमीन लाकर नापी करावे। दोनों पक्ष अपना – अपना अमीन लाया था तथा नापी भी कराया गया था। अमीन के द्वारा पंचो को बताया गया कि अब छज्जा नही निकालना है उसके बाद भी छज्जा निकाल दिया गया।

प्रतिपरीक्षणः–

मेरा नाम पुरन महतो है, उम्र 60 वर्ष है। वाद संख्या मुझे पता नहीं है। विवादित जमीन गम्हरिया मौजा में है, प्लॉट नं0 – 27, खाता नं0 – 816, विवाद 2 डिसमिल जमीन पर है। प्रथम पक्ष को जमीन खतियानी हासिल है। बंटवारा को लेकर विवाद है। मेरे घर से विवादित जमीन की दूरी 1 KM है। द्वित्तीय पक्ष लगभग 6 डिसमिल जमीन में घर बनाया है। बगल मे जमीन खाली है। खाता नं0 – 27 का चौहदी उ0 – रास्ता, पू0 – मुंडरो सीमाना, पं0 – अशोक, द0– नीज जमीन। विवादित जमीन की पंचायती मे मैं उपस्थित था परन्तु तारीख मुझे याद नही है। मुझे सिर्फ खाता 27 के बारे में पता है।

प्रथम पक्ष का ग्वाह सं0 – 02 की गवाही प्रदर्श A - 6

मैं स्वयं प्रथम पक्ष हूँ। यह मुकदमा छज्जा को लेकर लाया गया है। विवादित स्थल मौजा – गम्हरिया, खाता नं0– 27, प्लॉट नं0 – 816 रकबा – 22 डिसमिल मधे विवादित रकबा – 2 डिसमिल चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – सर्वे नाला तथा नीज, पू0 – रास्ता तथा नीज, पं0 – जीतन महतो वगैरह तथा द्वित्तीय पक्ष। जिस जमीन पर मकान बना है वह प्लॉट 817 है तथा छज्जा 816 प्लॉट में निकाला गया है। इस विवाद की पंचायती तथा मापी भी हुई। उसके बावजुद भी रात में छज्जा ढाल दिया। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन किया। छज्जा वर्त्तमान में है उपर खिड़की बढ़ा कर छज्जा निकाला गया है। छज्जा के तरफ विपक्षी का जमीन नही था।

प्रतिपरीक्षणः–

मेरे नाम छोटीलाल प्रसाद है। उम्र 49 वर्ष है। वाद संख्या – 4/23 है। विवादित जमीन गम्हरिया मौजा में खाता नं0 – 27, प्लॉट नं0 – 816, रकबा – 22 डिसमिल विवादित 2 डिसमिल चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – नीज एवं सर्वे नाला, पू0 – रास्ता तथा नीज, पं0 – द्वित्तीय पक्ष तथा जीतन महतो। विवादित रकबा खाता 27 तथा प्लॉट नं0 – 816 में है। छज्जा मेरे आँगन में डाला इसलिए विवाद हुआ। छज्जा द्वित्तीय पक्ष के अशोक कुमार ने डाला है। द्वित्तीय पक्ष का मापी करके मकान बना हुआ है। मकान का चौहदी पू0 – मेरा नीज, पं0 – जीतन महतो उ0 – रास्ता द0 – मेरा नीज; मकान के अगल बगल पू0 – 816 प्लॉट, पं0 – 815 प्लॉट, उ0 – रास्ता, द0 – 857 प्लॉट मकान में अशोक कुमार का कब्जा है। मकान के पूरब तरफ खाली जमीन है।

पुनः दिनांक 29.04.2024 को प्रथम पक्ष के द्वारा – एक आवेदन (01 पृष्ठ), स्थल का दो Geo Tag Photograph, ग्रामीण स्तर पर हुए पंचयात एवं नापी का प्रतिवेदन 06 पृष्ठ – प्रदर्श A – 7, समर्पित किया गया।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 23.09.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B - 1**
2. रमन महतो वगैरह के नाम से खतियान की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B - 2**

29.04.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

(5)

3. परवतीया देवी के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या– 025503723, दिनांक– 06.07.2023)– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B - 3**
4. रमन महतो के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या– 0383744829, दिनांक– 27.02.2018)– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B - 4**
5. केवाला संख्या – 1731, दिनांक – 26.11.1956 की छायाप्रति (विक्रेता – होरील सुण्डी, केता – श्रीमति परवतीया) – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B - 5**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – द्वितीय पक्ष की जमीन मौजा – गम्हरिया, थाना नं0– 08, अंचल – बगोदर के अंदर खाता नं0 – 27, प्लॉट नं0 – 816, रकवा – $6\frac{2}{3}$ डी0 जिसका हाल चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – नीज, पू0 – कुन्ती देवी, पं0 – रमन महतो है। जो द्वितीय पक्ष को खरीदगी केवाला जिसका दस्तावेज सं0 – 1751, दिनांक – 26.11. 1956 से द्वितीय पक्ष के पूर्वज परवतिया देवी, पति– जीतन महतो के नाम से खरीदगी हासिल है एवं खाता नं0– 31, प्लॉट नं0 – 817, रकबा – 24 डी0 मधे रकबा – 08 डी0 जिसकी हाल चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – परवतिया देवी नीज, पू0 – परवतिया देवी नीज, पं0 – सीताराम महतो वगैरह जो द्वितीय पक्ष के पूर्वज रमन महतो वगैरह के नाम से सर्वे खतियान से प्राप्त है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – द्वितीय पक्ष अपने खरीदगी केवाला जिसका खाता सं0 – 27, प्लॉट सं0 – 816, रकबा – $6\frac{2}{3}$ डी0 का दाखिल खारिज कराकर अंचल कार्यालय बगोदर के माँग पंजी 2 के भाग सं0 – 02, पेज सं0 – 93 में जमाबंदी परवतिया देवी के नाम से दर्ज है, और मालगुजारी रसीद साल दर साल निर्गत होते चला आ रहा है और खाता नं0 – 31, प्लॉट नं0 – 817 का मांग पंजी 2 के भाग संख्या – 01, पृष्ठ सं0 – 43 में जमाबंदी रमन महतो के नाम से दर्ज जिसका मालगुजारी रसीद साल दर साल निर्गत होते चला आ रहा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में दो गवाह प्रस्तुत किये गये, गवाहों की गवाही निम्न प्रकार है –

द्वितीय पक्ष का गवाह सं0 – 01 की गवाही प्रदर्श B - 6

1. **क्या आप दोनों पक्ष को जानते हैं?**
उत्तर – हाँ, जानते है।
2. **विवाद किस बात का है?**
उत्तर – घर का छज्जा को लेकर।
3. **विवादित जमीन** का खाता संख्या – 27, प्लॉट संख्या – 816, रकबा – सवा छः डी0, चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – द्वितीय पक्ष छोटीलाल, पू0 – सीताराम, पं0 – मुंडरो सीमाना।
4. **विवादित जमीन** पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ है। अभी द्वितीय पक्ष दूसरे मंजिल बनाने का कार्य कर रहें हैं। जिधर छज्जा निकाला जा रहा है वह द्वितीय पक्ष का खाली जमीन है।
5. पहला मंजिल की छत ढ़लाई में छत लगभग 01 फीट निकाला था, (दूसरी मंजिल में छत थोड़ा ज्यादा निकाला गया है) फिर ग्वाह के द्वारा कहा गया कि नहीं पहली मंजिल उतना ही होगा एवं फिर ग्वाह के द्वारा कहा गया कि उससे अधिक भी हो सकता है।

29.04.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

प्रतिपरीक्षणः—

1. जिस पर मकान बना हुआ है द्वितीय पक्ष का उसका खाता नं0 – 27, प्लॉट नं0 – 816 है। छज्जा भी उसी प्लॉट पर निकला है। छज्जा मकान के पूरब तरफ है। प्रथम पक्ष की जमीन जो छज्जा निकला हुआ है, उसके पूरब में है।
2. प्रथम पक्ष के घर के पश्चिम में कौन है?

उत्तर – सीताराम मंडल का घर है।

3. मकान के प्रथम तल्ला में छज्जा था क्या?

उत्तर – था, छज्जा था। उपर मंजिल में छज्जा निकाला था उसी पर विवाद हुआ, काम रूक गया। लगभग एक डेढ़ फीट निकलता होगा, क्या पता? इस जमीन को लेकर मापी हो रहा था पर पूरा नहीं हुआ।

4. इस विवाद के बारे में आपको जानकारी नहीं है आप मुझे ग्वाही देने आये है।

उत्तर – ऐसी बात नहीं है, जो जानता हूँ सो बताया।

5. प्रथम मंजिल पर छज्जा कितना है?

उत्तर – मापे नहीं है, लगभग एक फीट होगी।

6. द्वितीय मंजिल पर छज्जा कितना निकाला जा रहा था?

उत्तर – डेढ़ फीट लगभग निकाला जा रहा था, हाँ हम देखे थे।

द्वितीय पक्ष का गवाह सं0 – 02 की गवाही प्रदर्श B - 7

1. क्या आप दोनों पक्ष को जानते हैं?

उत्तर – हाँ, सर जानते है।

2 विवाद किस बात का है?

उत्तर – छज्जा के लिये लाया गया है, छज्जा द्वितीय पक्ष निकाल रहे थे।

खाता नं0 – 31, प्लॉट – 817, रकबा – 24 डी0 है, उसी पर मेरा मकान है। प्लॉट नं0 – 817 के पूरब दिशा में प्लॉट नं0 – 816 है जो मेरा रजिस्ट्री खरीदगी है।

मकान के पूरब में, प्लॉट नं0 – 817 में ही 12 (बारह) फीट का रास्ता हम छोड़े है। चार पाँच साल से वो रास्ता छोड हुए हैं।

पहला तल्ला मकान तीन साल पहले बनाये थे। दूसरा तल्ला पिछला साल बना रहे थे। प्रथम तल्ला में एक फिट एस्बेस्टस का छज्जा दूसरा तल्ला में डेढ़ फीट छज्जा निकाल दिये हैं, खिड़की में। अभी दूसरा तल्ला नहीं बनाये है।

प्रतिपरीक्षणः—

1. प्लॉट नं0 – 817 का खाता नं0 – 31 है।
   प्लॉट नं0 – 816 का खाता नं0 – 27 है।
2. प्लॉट नं0 – 816 का चौहदी उ0 – सर्वे रास्ता, द0 – द्वितीय पक्ष, पू0 – प्रथम पक्ष, पं0 – द्वितीय पक्ष के द्वारा प्लॉट 817 मे छोड़ा गया 12 फीट का रास्ता।
3. प्लॉट नं0 – 817 का चौहदी उ0 – सर्वे रास्ता, द0 – नीज द्वितीय पक्ष, पू0 – नीज परवतीया देवी, पं0 – सीताराम नुनु महतो।
4. प्रथम पक्ष का जमीन खाता संख्या – 27, प्लॉट सं0 – 816, रकबा – 15.75 डी0 चौहदी उ0 – सर्वे रास्ता, द0 – द्वितीय पक्ष, पू0 – मुंडरो सीमाना, पं0 – द्वितीय पक्ष

थाना प्रभारी, बगोदर का जाँच प्रतिवेदन प्रदर्श C - 1

थाना प्रभारी, बगोदर का ज्ञापांक 1/93/23, दिनांक– 12.06.2023 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो कि अभिलेख में संलग्न है, उक्त प्रतिवेदन मे कहा गया है कि *"मौजा– गम्हरिया, खाता नं0 – 27, प्लॉट नं0 – 816, एवं प्लॉट नं0 – 817 विवादित जमीन पर जाकर दोनों पक्षों एवं ग्रामिणों के समक्ष जाँच किया तो जाँच के कम में पाया कि प्रथम पक्ष प्लॉट नं0 – 816 तथा ठीक उसी में सटे पश्चिम में प्लॉट नं0 – 824 जो प्रथम पक्ष का जमीन है जो वर्तमान खाली है, तथा प्लॉट के पश्चिम में द्वितीय पक्ष का घर बना हुआ है।*

29.04.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

जो प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष का घर बना हुआ छज्जा मेरे जमीन तरफ बढ़ाकर बना दिया है। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि मैं मकान अपने हिस्से के जमीन पर बनाया है। जिसे प्रथम पक्ष को छज्जा को लेकर एतराज है। जो छज्जा को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई हैं। जो आपस में मारपीट कर कभी भी विधि – व्यावस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते है।"

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित कथन / कारण–पृच्छा, राजस्व दस्तावेज, मौखिक बयान एवं थाना / अंचल का प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –

अंचल	मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	सम्मिलित चौहद्दी
बगोदर	गम्हरिया / 08	27	816	विवादित रकबा – 02 डी0	उ0– रास्ता, द0– नीज प्रथम पक्ष, पु0– नीज एवं मुंडरो सीमाना, प0– प्लॉट नं0 – 817 द्वितीय पक्ष।

2. उक्त विवादित जमीन प्रथम प्रक्ष की पुस्तैनी जमीन है और उन्हें यह जमीन उनके माँ से प्राप्त हुई है, जिसका रसीद प्रथम पक्ष की माँ कुन्ती कुमारी उर्फ नागेश्वरी कुमारी के नाम पर कट रहा है।
3. प्रथम पक्ष की उक्त विवादित जमीन के ठीक पश्चिम में, द्वितीय पक्ष का खरीदगी जमीन प्लॉट नं0 817 है; प्लॉट संख्या – 817 के पूर्वी किनारे पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान बनाया गया है, मकान के पूरब तरफ लगभग एक से डेढ़ फीट का छज्जा निकाला गया है जिस छज्जा को लेकर दोनों पक्ष के बीच विवाद है, प्रथम पक्ष का कहना है कि यह छज्जा प्रथम पक्ष की जमीन प्लॉट नं0 816 पर निकला हुआ है।
4. प्रथम पक्ष के दोनों गवाह का कहना है कि द्वितीय पक्ष के घर के पूरब तरफ की खिड़की का छज्जा प्रथम पक्ष की जमीन प्लॉट 816 पर निकला हुआ है।

   द्वितीय पक्ष के प्रथम गवाह की गवाही स्पष्ट नहीं है, वे कभी कहते है कि विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ है, जबकि आवेदन से स्पष्ट है कि विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के मकान का केवल पूरब तरफ का छज्जा निकला हुआ है।

   पुनः वे कहते हैं कि पहला मंजिल में छत लगभग एक फीट निकला था, दूसरा मंजिल में छत थोड़ा ज्यादा निकल गया है, फिर उनके द्वारा कहा गया कि पहली मंजिल उतना ही होगा, फिर उनके द्वारा कहा गया कि उससे अधिक भी हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये गवाह अपनी बातों पर आश्वस्त नहीं है।

   साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा, दिनांक 12.04.2024 एवं 13.04.2024 को स्थल का खिंचा गया Geo Tag Photograph समर्पित किया गया है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि द्वितीय पक्ष अपने मकान के प्रथम तल्ला (Ground Floor) पर पूरब

29.04.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

7

में कोई छज्जा नहीं निकाले हैं, और द्वित्तीय तल्ला (Ground Floor के ठीक ऊपर का तल्ला) पर खिड़की में लगभग एक से डेढ़ फीट का छज्जा निकला हुआ दिखाई दे रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वित्तीय पक्ष का प्रथम गवाह अपनी बातों से आश्वस्त नहीं है तथा वे झूठ बोल रहे हैं।

द्वित्तीय पक्ष के दूसरे गवाह श्री अशोक कुमार स्वयं पक्षकार है, इनका कहना है कि प्लॉट नं0 817 पर इनका मकान है तथा मकान के पूरब में, प्लॉट नं0 817 में ही हम 12 फीट का रास्ता छोड़े है, चार – पाँच साल से वो रास्ता छोड़े हुए हैं उसी रास्ता से प्रथम पक्ष भी आता–जाता है।

पुनः उनका कहना है कि प्रथम तल्ला में एक फीट छज्जा निकाले थे, दूसरा तल्ला में डेढ़ फीट छज्जा निकाल दिये हैं खिड़की में।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित Geo Tag Photograph से स्पष्ट है कि द्वित्तीय पक्ष अपने मकान के प्रथम तल्ला (Ground Floor) पर पूरब में कोई छज्जा नहीं निकाले हैं, और द्वित्तीय तल्ला (Ground Floor के ठीक ऊपर का तल्ला) पर खिड़की में लगभग एक से डेढ़ फीट का छज्जा निकला हुआ दिखाई दे रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वित्तीय पक्ष के द्वित्तीय गवाह भी झूठ बोल रहें हैं।

5. प्रथम पक्ष के द्वारा इस विषय पर, दिनांक 13.04.2023 को ग्रामीण स्तर पर हुए आम पंचायत एवं नापी का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष के बीच सहमति से स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में –– दोनों पक्ष की ओर से एक – एक Private अमीन के द्वारा –– स्थल पर नापी हुई। इस नापी के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि द्वित्तीय पक्ष जो मकान बनाये हैं उसका पूर्वी दीवाल **Already** प्रथम पक्ष की जमीन प्लॉट नं0 816 पर चला गया है, अब प्रथम पक्ष का कोई भी जमीन पूरब में नहीं है।

इस प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट होता है कि द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में झूठ बोल रहे हैं, एवं उनका दावा गलत है।

6. अतः उक्त विष्लेषण से स्पष्ट है कि द्वित्तीय पक्ष अपने मकान के पूर्वी दीवाल से करीब डेढ़ फीट खिड़की का छज्जा निकाल रहे हैं, यह छज्जा प्रथम पक्ष की जमीन प्लॉट नं0 816 के ऊपर निकल रहा है, इससे प्रथम पक्ष को अपने जमीन के उपयोग में बाधा होगी।

अतः द्वित्तीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि 60 दिनों के भीतर, प्रथम पक्ष की जमीन, प्लॉट नं0 816, पर निकाला गया छज्जा अपने से तोड़ लें, उक्त अवधि के बाद विवादित छज्जा को कानुनी प्रकिया से तोड़ा जाएगा तथा तोड़ने का खर्च द्वित्तीय पक्ष से वसूल किया जायेगा।

द्वित्तीय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त किया जाता है।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना तथा अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

29.04.2024 | 29.04.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी | अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया। | बगोदर–सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर सरिया (गिरिडीह) | अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर सरिया (गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.19 15:25:11 +05:30
Location: 192.168.1.9